इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023—माघ 5, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. 1492-31-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०२३

मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२२

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २५ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२२ है.

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन. २. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कालम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति. ३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमश: किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुन: प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

निरसन

वर्ष (१)	क्रमांक (२)	संक्षिप्त नाम (३)	निरसन की सीमा (४)
१९२८	९	मध्यप्रदेश बोर्स्टल एक्ट, १९२८	संपूर्ण
१९४९	४६	मध्यभारत लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १९४९	संपूर्ण
१९५८	२०	मध्यप्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम, १९५८	संपूर्ण
१९६०	२१	मध्यप्रदेश अश्व-रोग अधिनियम, १९६०	संपूर्ण
१९७६	२१	मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६	संपूर्ण

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. 1492-31-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2023

THE MADHYA PRADESH NIRSAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th January, 2023.]

An Act to repeal certain enactments.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2022.

Repeal of certain enactments.

2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.

Savings.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred; or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability; right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

THE SCHEDULE
[See Section 2]
REPEALS

Year (1)	No. (2)	Short title (3)	Extent of repeal (4)
1928	9	The Madhya Pradesh Borstal Act, 1928	The whole
1949	46	The Madhya Bharat Small Cause Courts Act, 1949	The whole
1958	20	The Madhya Pradesh State Aid to Industries Act, 1958	The whole
1960	21	The Madhya Pradesh Horse Sickness Act, 1960	The whole
1976	21	The Madhya Pradesh Pashu (Niyantran) Adhiniyam, 1976	The whole

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.